सरकार खरीदेगी 2000 बसें, चलाएगी पौधरोपण अभियान

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए इस साल 2000 बसें खरीदेगी और यहां वायु प्रदूषण घटाने के प्रयास के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान शुरू करेगी। अपने सरकारी निवास पर मुंबई के कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली और मुंबई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और वह चाहते हैं कि दोनों शहर तरक्की करें।

मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली और मुंबई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'वैसे तो यह जटिल समस्या है लेकिन दिल्ली सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। हम सम-विषम योजना लाए, उसे लागू करना मुश्किल था फिर भी हमने किया।' उन्होंने कहा, 'इस साल हम पूरी दिल्ली में युद्धस्तर पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाने की योजना बना रहे हैं। हम उसमें स्कूली बच्चों और नागरिकों को साथ लाएंगे। हम 2000 बसें खरीदने की भी योजना बना रहे हैं ताकि लोग अपनी कार छोड़कर बस से सफर करें।'

भीड़ कम करने को सिर्फ पांच जगहें चुनने से नाखुश कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ वाले 77 स्थानों में से भीड़भाड़ कम करने की परियोजना के लिए यातायात पुलिस द्वारा सिर्फ पांच जगहों का चयन करने पर मंगलवार को नाखुशी जताई। साथ ही अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि उन तीन मेट्रो लाइनों के बारे में कोई योजना क्यों नहीं है जो शुरू होने वाली हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्राधिकारी 77 स्थानों में से सिर्फ पांच जगहों का यातायात की भीड़ कम करने की परियोजना के लिए चयन नहीं कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने कहा, 'आपको मेट्रो के अनुरूप भी योजना तैयार करनी होगी। मेट्रो सेवाओं के बारे में तो कुछ भी नहीं है। इस बात की योजना ही नहीं है कि जब मेट्रो की नई लाइनें चालू हो जाएंगी तो क्या होगा।' दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील वसीम अहमद कादरी ने कहा कि यातायात की भीड़ कम करने के लिए कार्यबल की

अदालत ने कहा, प्राधिकारी 77 में से सिर्फ पांच जगहों का यातायात की भीड़ कम करने की परियोजना के लिए चयन नहीं कर सकते हैं

सिफारिशों पर अमल होगा। इस पर पीठ ने कहा कि हम इस तरह के थोथे बयान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रही वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि प्राधिकारियों को यह बताना होगा कि अभी तक भीड़ कम करने के लिए सिर्फ पांच स्थानों का ही चयन क्यों किया गया है।

कादरी ने कहा कि यातायात के 28 मार्गों पर विचार किया जाना था, लेकिन फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की प्रक्रिया में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने धौलाकुआं चौराहा, सरदार पटेल मार्ग, 11 मूर्ति मार्ग और पंचशील मार्ग पर भीड़भाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि पीठ ने 77 में से सिर्फ पांच स्थानों का चयन करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और टिप्पणी की, 'आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह करना है। किसी अन्य को यह काम करना है तो फिर आप को क्या करना है? आप यह नहीं कह सकते कि हम सिर्फ अदालत में दस्तावेज दाखिल करेंगे।' कादरी ने जब अतिक्रमण का जिक्र किया तो पीठ ने सवाल किया, 'कौन सा अतिक्रमण आपको हटाना है और कब? हमें बताएं। इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीके से यातायात को मोड़ने का है। आपने इस बारे में कुछ नहीं किया है।'

न्याय मित्र ने कहा कि यह मुद्दा भी वायु प्रदूषण के मामले में व्यापक कार्य योजना जैसा ही है और दोनों ही मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने न्याय मित्र के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए विस्तृत कार्य योजना के साथ ही इस मामले को सुना जाएगा। अदालत पर्यावरणविद वकील महेश चंद्र शर्मा की 1985 में दायर जनहित याचिका में कुछ आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी।

बैजल ने जारी किया 'हिम्मत प्लस' ऐप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

दिल्ली पुलिस ने अपने महिला सुरक्षा ऐप 'हिम्मत प्लस' का तीसरा उन्नत संस्करण जारी किया है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद कारगर करार दिए जा रहे इस मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर यह दावा भी किया गया कि इसकी तमाम खामियां दूर कर दी गई हैं और अब इसका इस्तेमाल बेहद आसान होगा। इसका उपयोग करने वाली महिलाएं इसकी विविध सुविधाओं का इस्तेमाल कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिम्मत प्लस का नया संस्करण जारी किया। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी में है और उसमें टैक्सी, ऑटोरिक्शा व ई-रिक्शा के ड्राइवरों के विवरण के सत्यापन के लिए उनके क्यूआर कोड के स्कैनिंग की भी सुविधा है।

परिचालनगत लाभ 17.39% (वर्ष दर वर्ष) | नकद वसूली 177.78% (वर्ष दर वर्ष) | कासा 44.86% | कुल व्यय 10.79% (वर्ष दर वर्ष) | निधि की लागत 66 बीपीएस (वर्ष दर वर्ष)

31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही/नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31/12/2017 (पुनरीक्षित)	समाप्त नौ माह 31/12/2017 (पुनरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31/12/2016 (पुनरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय (निवल)	2994.55	9508.01	3473.77
कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों द्वारा निवल लाभ / (हानि)	(596.70)	(1032.14)	(182.51)
कर के पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	(596.70)	(1032.14)	(182.51)
इक्विटी शेयर पूंजी	1379.94	1379.94	1168.33
आरक्षित निधियां (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)	5004.73	5004.73	6323.03
प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व) (प्रत्येक ₹ 10/-) मूल (₹ में) :	(4.65)	(8.44)	(1.56)
डायल्यूटेड (₹ में) :	(4.65)	(8.44)	(1.56)
प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पश्चात) (प्रत्येक ₹ 10/-) मूल (₹ में) :	(4.65)	(8.44)	(1.56)
डायल्यूटेड (₹ में) :	(4.65)	(8.44)	(1.56)

नोट : उक्त, सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (BSE: www.bseindia.com और NSE: www.nseindia.com) तथा बैंक की वेबसाइट (www.bankofmaharashtra.in) पर उपलब्ध है.

स्थान : पुणे
दिनांक : 06/02/2018

ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक | आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक | आर. पी. मराठे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इनके साथ संलग्न होने पर हमें गर्व है | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana | mudra

टोल फ्री क्र. : 1800-233-4526 | वेबसाइट: www.bankofmaharashtra.in | नेट बैंकिंग: https://www.mahaconnect.in

तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगी जेड श्रेणी की सुरक्षा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर उन पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए तिवारी ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पांच फरवरी को लिखे एक पत्र में तिवारी ने कहा है कि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने दलील दी कि पार्टी नेतृत्व के आदेश पर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाना पड़ता है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में पिछले दिनों वे

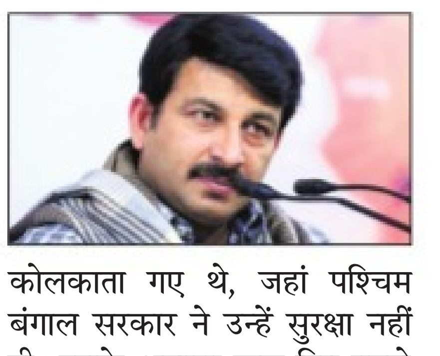

कोलकाता गए थे, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। इसके अलावा कुछ दिन पहले जब वे सीलिंग के मुद्दे पर बातचीत करने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पर गए तो वहां भी उन पर हमला किया गया। तिवारी ने लिखा है कि इस बारे में उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के आदेश पर पार्टी सांसदों व पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे। वहां पर 'आप' नेताओं व कार्यकर्ताओं से भाजपा के नेताओं की तीखी झड़प हो गई थी। भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के लोगों ने उन पर हमला किया। उन्होंने इसके खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसी घटना का जिक्र कर मनोज तिवारी अब अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने तिवारी द्वारा खुद के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा मांगे जाने पर तंज कसा कि अगर भाजपा ने सीलिंग को तुरंत रोकने का काम नहीं किया तो केंद्रीय मंत्रियों सहित इसके कई नेताओं को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को अभी दिल्ली के व्यापारियों के गुस्से का अंदाजा नहीं है।

स्मार्ट बनेंगे दिल्ली के गांव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी राजधानी के गांवों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू की है। इसके माध्यम से दिल्ली के गांवों को सजा-संवारकर उन्हें नई शक्ल दी जाएगी। विकास योजनाओं के माध्यम से इन गांवों में तमाम शहरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने मंगलवार को राजधानी में स्मार्ट गांव सम्मेलन का आयोजन किया। इसको संबोधित करते हुए दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकारों में स्मार्ट सिटी बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार यहां के गांवों को स्मार्ट बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच यह है कि अगर देश के बारे में सोचते हैं तो गांवों को भी साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी 365 गांवों में विकास के लिए ग्राम विकास समिति का गठन किया जा रहा है। इस ग्राम विकास समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा ताकि गांव का विकास परंपरा और आधुनिकता के साथ हो सके। गांव के विकास कार्यों को लेकर ग्राम विकास समिति पंचायत करेगी।

पुंज लॉयड लिमिटेड | Punj Lloyd
पंजीकृत कार्यालयः पुंज लॉयड हाऊस, 17-18, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19
टेलीफोनः +91 124 262 0123 फैक्सः +91 124 262 0111
वेबसाइटः www.punjlloyd.com ईमेलः info@punjlloyd.com
CIN: L74899DL1988PLC033314

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 की विनियम 47 (1)(a) के क्रमानुसार सूचित किया जाता है कि बुधवार, 14 फरवरी, 2018 को कंपनी के प्रबंधक मंडल की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त वित्तीय तिमाही के लिए कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित एकल वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी।

कृते पुंज लॉयड लिमिटेड
दिनेश थैरानी
ग्रुप प्रेजीडेंट-लीगल एवं कंपनी सचिव
स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 6 फरवरी, 2018

J&K Bank
ई-नीलामी सूचना
(सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गिरवी सम्पत्ति की बिक्री के लिए)

बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय उत्तर (दिल्ली जोन), प्लॉट नं. 132-134, गुड़गाँव (हरियाणा)-122002, फोनः 0124-4715800, फैक्सः 0124-43895009

संदर्भ सं. जेकेबी/जेडओडी/आईएपीएमडी/2018 तिथिः 5.2.2018

अधोलिखित सम्पत्तियों अर्थात्-

1. "फेज-V, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित प्लॉट नं. 1278, माप 1000 वर्ग मी. के साथ औद्योगिक शेड, दो मंजिला आवासीय ब्लॉक, गार्ड रूम आदि माप 6893 वर्ग फीट से शामिल गिरवी सम्पत्ति

2. एनएसजी कैम्पस, नैनवाल तहसील मानेसर, जिला गुड़गाँव, हरियाणा के पीछे स्थित खेवत नं. 67/112, खेवत नं. 75 के भाग का निर्माण करने वाली तीन मंजिला भवन, माप 13000 वर्ग फीट के साथ भूमि का प्लॉट माप 1361.25 वर्ग यार्ड्स से शामिल औद्योगिक लीज होल्ड सम्पत्ति की खरीद के लिए इच्छुक व्यक्तियों से ई-बोलियां आमंत्रित हैं। सम्पत्ति के सभी नियमों एवं शर्तों से शामिल बोली, दस्तावेज/प्रारूप वेबसाईट http://sarfaesi.auctiontiger.net" (सम्पर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, 9978591888, श्री नितीश झा, 8800896847) से प्राप्त एवं उस पर जमा की जा सकती है। उपरोक्त सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य रु. 110.00 (रुपए एक सौ दस लाख) है। सम्पूर्ण दृष्टियों से पूर्ण बोली 22.2.2018 तक ऑन लाइन जमा की जा सकती है। उपरोक्त साईट पर बोली तभी स्वीकार की जाएगी जब जम्मू एंड कश्मीर बैंक, शाखाः सेक्टर 44, गुड़गाँव (आईएफएस कोडः JAKAOGURSEC) में प्रबंधित चालू खाता सं. 0444010100000467, शीर्षक ई-नीलामी खाता में इशिका फूड्स में आरक्षित मूल्य के न्यूनतम 10% की ईएमडी (धरोहर राशि भुगतान) ऑन लाइन जमा की गई से। ई-नीलामी का समय 23.2.2018 को 3.00 बजे अप. होगा। सभी वैध बोलीदाताओं द्वारा अग्रगामी नीलामी के लिए 23.2.2018 को 3.00 बजे अप. में ऑन लाइन शुरू होगी तथा उसी दिन 4.00 बजे अप. में बंद होगी। यदि कोई बोली ई-नीलामी समय के अंतिम 5 मिनट में जमा की जाती है तो अंतिम 5 मिनट स्वतः आगे बढ़ जायेगा (विस्तारों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी) यह सम्पत्ति जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., बिजनेस यूनिट सेक्टर 44, गुड़गाँव, हरियाणा में मै. इशिका फूड्स पी. लि. जिसका पंजी. कार्यालय सी-141, महाराना प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 के पक्ष में दी गई नगद शाख एवं सावधि ऋण सुविधाओं के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित तथा आगे के ब्याज एवं लागतों (वहन की गई अथवा की जाने वाली) 31.1.2018 को रु. 536.11 लाख बकाया ऋणों की वसूली के लिये सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बेची जा रही है। बैंक अधिकारियों के सम्पर्क का विवरणः श्री मोहम्मद मकसूद वानी (प्राधिकृत अधिकारी), फोनः 9871587786 तथा श्री अनिल भट, शाखा प्रमुख, मोबाईल नं. 08512022835

हस्ता./-
मोहम्मद मकसूद वानी
प्राधिकृत अधिकारी, द ज. एंड क. बैंक लि.

यह प्रकाशन ऋणधारक/मार्टगैजर्स/गारन्टरों, नाम मै. इशिका फूड्स प्रा. लि., सी/ओ सी-141, महाराना प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली, 2. मै. माखन लाल एंड कं., सी/ओ मकान सं. 2088, सेक्टर 4, अर्बण इस्टेट, गुड़गाँव, 3. श्री सुरेश कुमार गोयल, पुत्र श्री मदन लाल गोयल, निवासी मकान सं. 2088, सेक्टर 4, अर्बण इस्टेट, गुड़गाँव, 4. पुत्र श्री गौरव गोयल, पुत्र श्री सुरेश गोयल, निवासी मकान सं. 2088, सेक्टर 4, अर्बण इस्टेट, गुड़गाँव, 5. श्री रजत कुमार गर्ग, पुत्र श्री सुशील कुमार गर्ग, निवासी सी-141, महाराना प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली, 6. श्रीमती राधा गोयल, पत्नी सुरेश कुमार गोयल, निवासी मकान सं. 2088, सेक्टर 4, अर्बण इस्टेट, गुड़गाँव के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अनुसार 15 दिनों की सूचना है कि यदि वे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बीयूः सेक्टर 44, गुड़गाँव में प्रबंधित मै. इशिका फूड्स प्रा. लि. (यहां ऊपर वर्णित) के लिए बैंक की बकाया देयता का इस सूचना से 15 दिनों के भीतर लागत, चार्जेज, खर्चे आदि के साथ भुगतान कर देते हैं तो बैंक द्वारा उपरोक्त सम्पत्तियों की बिक्री नहीं की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी

Deltron Limited
Regd Office : C-120, Naraina Industrial Area, New Delhi-110 028
E-mail : deltron1982@rediffmail.com
CIN No : L32109DL1982PLC013838
Web-site : www.deltronlimited.in
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14.02.2018, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2017.
For Deltron Limited
Sd/-
S. Sujatha Lyall
Company Secretary
Place : New Delhi
Date : 06.02.2018

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)
एनआईटी नं.: डीएलआई/सीओएन/750/614
"ऑटोनगर, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश में एपी मार्क्फ़ड कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण" के लिए ई-निविदा आमंत्रण सूचना।
अनुमानित लागतः रु. 8.09 करोड़
पूर्णता अवधिः 12 माह।
विवरणों के लिए कृपया ईपीआई की वेबसाईटः www.engineeringprojects.com एवं सीपीपी पोर्टलः www.eprocure.gov.in देखें।
ऑनलाईन जमा करने के लिएः टीसीआईएल पोर्टलः http://www.tcil-india-electronictender.com

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड
CIN: L67120HR1980PLC039125
कार्यालयः प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003
Ph. 0124-4556677
E-mail: info@aravalisecurities.com
Website: www.aravalisecurities.com
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 47 तथा लागू होने वाले किसी अन्य विनियमन, यदि कोई हो, के अनुपालन में अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 फरवरी, 2018 को 3.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 136, चौथा तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मोहित कौशिक
कम्पनी सचिव
स्थानः गुड़गाँव
तिथिः 5.2.2018

भारत सीट्स लिमिटेड
CIN: L34300DL1986PLC023540
पंजी. कार्यालयः 1, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
Phones: +91 9643339870-74, Fax: 0124-2341188
E-mail: seats@vsnl.net
WEBSITE: www.bharatseats.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 फरवरी, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
उपरोक्त जानकारी वेबसाईटः www.bharatseats.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
भारत सीट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रीतू बख्शी
कम्पनी सचिव
5 फरवरी, 2018
गुरुग्राम

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED
CIN: L74899DL1986PLC023530
Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road,New Delhi-110001
Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Wednesday, the 14th February, 2018 at 12:30 P.M. at the registered office of the Company for considering the Unaudited Financial Results for the Third quarter ended 31st December, 2017.
For R R Financial Consultants Limited
Sd/-
Rajat Prasad
Managing Director
Place: New Delhi
Dated: 07th, February 2018

RELIGARE रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोनः 91-11-4627 2400, फैक्स नं. 91-11-46272447
Website: www.religare.com, E-mail: investorservices@religare.com
सूचना
यह समाचार पत्र सूचना तिथि 01 फरवरी, 2018 के सुधार के लिए है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सूचीयन विनियमन") के साथ पठित विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 फरवरी, 2018 को आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किए जाएंगे।
पुनः सूचियन विनियमन के विनियमन 46 के अनुसार उपरोक्त बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.religare.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
रेलिगेयर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रीना जायरा
कंपनी सचिव
तिथिः 7 फरवरी, 2018
स्थानः नई दिल्ली

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड / Bharat Heavy Electricals Limited
पंजी. कार्यालयः "बीएचईएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
सीआईएनः L74899DL1964GOI004281, फोनः 011-66337000, फैक्सः 011-66337428
वेबसाइटः www.bhel.com, ई-मेलः shareholderquery@bhel.in
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 8 फरवरी, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार किया जाएगा।
कंपनी ने शनिवार, 17 फरवरी, 2018 को कंपनी के शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के नाम सुनिश्चित करने के लिए "रिकार्ड तिथि" नियत की है जिन्हें वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश देय होगा, यदि उपरोक्त कथित बैठक में इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
अंतरिम लाभांश यदि घोषित किया जाता है तो इसका भुगतान उन शेयरधारकों को दिया/भेजा जाएगा जिनके नाम इस प्रकार प्रकट होते हैं।
(क) 17 फरवरी, 2018 को इलेक्ट्रानिक माध्यम में धारित शेयरों के संदर्भ में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार लाभार्थी स्वामी, और
(ख) भौतिक रूप में सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को प्रभावी बनाने के बाद, कंपनी के सदस्यों के रूप में जो 17 फरवरी, 2018 को व्यवसाय समय समाप्त होने या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) में दर्ज हैं।
कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(इन्द्रपाल सिंह)
कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 फरवरी, 2018
1. अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक को ध्यान में रखते हुए मनोनीत कर्मचारियों आदि के लिये ट्रेडिंग विंडो दिनांक 29 जनवरी, 2018 से 10 फरवरी, 2018 तक बंद कर दी गई है।
2. उक्त जानकारी के लिए शेयरधारक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट (www.nseindia.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा हमारी वेबसाइट (http://www.bhel.com) का इन्वेस्टर रिलेशंस पेज देखें।

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED
Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi – 110020
(Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)
Website: – www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)a read with Regulation 47 and other application regulations of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th day of February, 2018 at Registered Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi – 110020 at 4.00 p.m. to consider, approve, inter-alia and take on record, the un-Audited Financial Results (Standalone) with limited review by the Statutory Auditor of the Company for the quarter and nine months ended 31st, December 2017 and other agenda items, if any.
As per Code of Conduct of the Company for Prevention of Insider Trading in the securities of the Company, the Trading Window shall remain closed for all the Directors/ Officers/ Designated Employees / specified persons of the Company from Tuesday, 6th February, 2018 to till 48 hours after the announcement of financial results to the Stock Exchanges for the quarter and nine months ended 31.12.2017.
The said information is also available on the website of the Company i.e. www.acilnet.com as well as website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com).
For Ahluwalia Contracts (India) Ltd.
Sd/-
(Vipin Kumar Tiwari)
GM (Corporate) & Company Secretary
Place: New Delhi
Date : 06.02.2018

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
आर.सी. नं. 342/2016 | बिक्री उद्घोषणा | तिथिः 20.01.2018

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

कॉर्पोरेशन बैंक बनाम मै. बी.के. एण्टरप्राईजेज एवं अन्य

1. मै. बी.के. एण्टरप्राईजेज, द्वारा उसके प्रॉप्पाईटर श्री भुवनेश खरबन्दा, 34/ 14, दूसरा तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली साथ हीः के-10, कोल्हापुर रोड, कमला नगर, नई दिल्ली
2. श्रीमती पूर्णिमा भाटिया, पत्नी श्री संजन भाटिया, 190, चार मंजिला, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली
3. श्री हितेश भाटिया, पुत्र श्री संजन भाटिया, 190, चार मंजिला, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली

1. जैसा कि रिकवरी प्रमाण पत्र के अनुसार लागतों तथा चार्जेज के साथ सर्टिफिकेट डेब्टर्स से रु. 150000/- की लागतों तथा चार्जेज के साथ 3.1.2014 से 14.25% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से मिश्रित ब्याज के साथ रु. 3,11,51,321.001 (रुपए तीन करोड़ ग्यारह लाख इक्यावन हजार तीन सौ इक्कीस एवं पैसे एक मात्र) की राशि की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1 द्वारा ओ.ए. नं. 314/2014 तिथि 30.09.2016 में रिकवरी प्रमाणपत्र सं. 342/2016 तैयार किया गया है।
2. तथा जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 15.3.2018 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच, यदि जरूरी हुआ तो 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन-लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाईट http://www.bankeauctions.com पर होगी।
4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
6. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

8.1 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी रु. 53.46 लाख तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) रु. 5.35 लाख है।

8.2 इच्छुक बोलीदाता को अधिकतम् 13.3.2018 के 5.00 बजे अप. से पूर्व "रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 342/2016" के पक्ष में देय पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा रु. 5.35 लाख की धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा तथा उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं की जाएगी। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त भुगतान समायोजित कर ली जाएगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बोली प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।

8.3 जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में 13.3.2018 के 5 बजे अप. तक पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, आवास के प्रमाण आदि के साथ दस्तावेजों सहित आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोली जमा किए हों, वे 15.3.2018 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो समापन समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

8.4 वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000 (रुपए पचास हजार मात्र) के गुणक में होगी। बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने पर लॉट को पुनः नीलामी पर रखा जाएगा।

8.5 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते उनके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा उसे स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं।

8.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 342/2016 के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह 3 दिनों के भीतर उस पते पर पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

8.7 सफल बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I दिल्ली के समक्ष रु. 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 342/2016 के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

8.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

9. संपत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार"** पर की जाएगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को उसका कोई भी कारण बताए बिना यदि अस्वीकार्य होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।

संपत्ति की अनुसूची

लाट सं.	सह. स्वामियों जहां जहां संपत्ति डिफॉल्टर तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1	पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 11, ब्लॉक- 29, (29/11 के रूप में विदित) पर निर्मित सम्पूर्ण भू तल आवासीय फ्लैट (बिना छत / टैरेस के अधिकार के)	कोई जानकारी प्राप्त नहीं		

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 20 जनवरी, 2018 को दी गई।

(एस.आर. बदोनी), रिकवरी अधिकारी-II,
(अति. प्रभार आरओ-1) डीआरटी-I, दिल्ली